

# अफसरों के संरक्षण में पुलिसिया डकैत

**डॉक्टर छोड़ थानेदार बनने वाले के कारनामे**

फरीदाबाद (म.मो.) दलित होने के आधार पर डॉक्टर के कोर्स में दाखिला लेकर बीएएमएस डॉक्टर बने सुनील को जब इस पेशे में लूट-मार के कम अवसर दिखे तो उसने करीब छः वर्ष पूर्व हरियाणा पुलिस में एसआई (उप निरीक्षक) की नौकरी पकड़ ली। ट्रेनिंग के तुरंत बाद वह लूट-मार के मैदान में पूरे जोर-शोर से सक्रिय हो गया। गुड़गांव लूटने के बाद अब वह फरीदाबाद में तैनात है। उसके द्वारा लूट की बानगी के तौर पर थाना सदर बल्लबगढ़ में दर्ज मुकदमा नं.76, जो दिनांक 29 मार्च 2010 को दर्ज हुआ, को देखा जा सकता है। यह मुकदमा 660 गायों की ताजा कटी खालों से संबंधित है।

मुखबिर खास ने यहां के एक थानेदार को खबर दी कि हरे रंग के एक डंपर नं. एचआर 38 बी-6482, जिसको धौज निवासी साबिर चला रहा है, में ताजा काटी गई 660 गायों की खालें भरी हैं जो 29 मार्च को हरफला की तरफ से आयेगा। इस डंपर के आगे-आगे पायलेट करती एक बोलेरो भी होगी जिसमें खालों के असल

## गौकशी के लिए हिंदू भी जिम्मेदार

गौकशी को मुद्दा बना कर सांप्रदायिक दंगों की खाद-पानी से वोटों की फसल काटने वाले हिंदू भी गौकशी के लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं। गौ पालन की बजाये गऊशाला के चंदे हड़पने में हिंदू ही सबसे आगे रहते हैं। महकमा पुलिस में गौ हत्यारों से पैसा खाने वालों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। गौकशी का पैसा खाने वालों में छोटे ही नहीं, बड़े पुलिस अधिकारी भी शामिल रहते हैं तथा उन अधिकारियों को संरक्षण देने वाले राजनेता भी इसके लिए उतने ही दोषी हैं। गत वर्ष 1-15 अप्रैल के अंक में मज़दूर मोर्चा ने प्रकाशित किया था कि किस प्रकार डीएसपी विनोद कौशिक ने असल गौ हत्यारों को (मुकदमा नं. 383/07 थाना सेक्टर-55) से निकाल दिया था। सरकार द्वारा इस मामले की जांच सीआईडी के एसपी महाराज सिंह को सौंपी गई थी। सभी तफ़्तीशी अधिकारियों के बयानों के आधार पर डीएसपी के दोषी पाये जाने के बावजूद उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहां से तबादला हुआ था, वह भी रद्द हो गया और अब शीघ्र ही उसे पदोन्नत भी किया जाने वाला है।

मालिकान कसाई सुलेमान पुत्र चुन्नी खान, निवासी उटावड़, उसका पुत्र बाबू खान तथा भाई मंजूर मौजूद होंगे। सूचना देने वाले ने इस सूचना की कीमत भी उस थानेदार से मांगी, लेकिन थानेदार ने कहा कि अब चूंकि उसका तबादला इस स्टाफ से कहीं अन्यत्र हो गया है, इसलिए वह

इस बाबत कुछ भी कर सकने में असमर्थ है। फिर भी यदि वह चाहता है कि उसकी सूचना पर गौ हत्यारों पर कड़ी कार्यवाही हो तो वह सीआईए स्टाफ के एक अन्य बड़िया व कारगर थानेदार सुदीप सिंह से इस बाबत मिल सकता है।

शेष पेज 2 पर

## अधिकारी ही पालते हैं पुलिस में डकैत

जनसाधारण की जान-माल की सुरक्षा के लिए बनाया गया महकमा पुलिस अब खुद ही लोगों की जान-माल का दुश्मन हो गया है। सुरक्षा तो यह केवल वीआईपी लोगों को प्रदान करता है। मज़दूर मोर्चा के 1-15 अप्रैल अंक में डीएसपी अशोक श्योराण की लूट कथा के दौरान बताया गया था कि एक श्योराण को क्यों रोते हो, यहां तो नीचे से ऊपर तक श्योराण ही श्योराण भरे पड़े हैं। इसी संदर्भ में फरीदाबाद के थानेदार डॉक्टर सुनील को भी देखा जा सकता है। बेशक उसकी नौकरी अभी मात्र छः साल की है, लेकिन वह श्योराण से भी ऊंचे कीर्तिमान स्थापित करने की क्षमता रखता है।

वर्दीधारी एवं अनुशासित बल होने के नाते पुलिस विभाग में, अन्य विभागों की अपेक्षा, छोटे अफसरों पर बड़े अफसरों द्वारा कड़ी निगरानी रखने के लिए विशेष अधिकार दिये गये हैं। इन अधिकारों के चलते छोटा मुलाजिम अपने से बड़े अधिकारी की मर्जी एवं रज़ामंदी के बिना एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकता। तो फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई श्योराण या कोई डॉक्टर बेखौफ़ डकैतियां मारे, जनता को जैसे मर्जी लूटे, अपराधी गिरोहों से सांठगांठ करके जनता को लुटवाये-पिटवाये? यह केवल और केवल तभी संभव हो सकता है जब किसी मुलाजिम को यह विश्वास हो जाये कि वह जो मर्जी करे, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जाहिर है, ऐसे ही विश्वास से लबरेज डॉक्टर अपने लूट अभियान में जुटा है। यहां प्रश्न यह पैदा होता है कि उसे इस तरह बेखौफ़ लूट का हौंसला कौन प्रदान कर रहा है?

यदि कोई यह कहे कि ऊपर के अफसर उसके कारनामों से अनभिज्ञ हैं तो यह कोई हजम होने वाली बात नहीं। और यदि वास्तव में ही वे अनभिज्ञ हैं तो फिर वे अपने पदों के लायक भी नहीं हैं। संदर्भवश यह समझ लेना भी जरूरी है कि मातहतों को सख्ती से जकड़े रहने हेतु जो अत्यधिक अधिकार उच्चाधिकारियों को दिये गये हैं, उन्हीं को विपरीत दिशा में इस्तेमाल कर मातहतों से डकैतियां भी मरवाई जा सकती हैं, जैसा कि अब हो रहा है।

शेष पेज 2 पर

## गरीब से गरीब को लड़ा रहे शासक

# नक्सलवाद : अंजाम क्या होगा?

### ■ विशेष प्रतिनिधि

हत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में नक्सलियों ने 6 अप्रैल को घात लगा कर 76 सुरक्षाकर्मियों को मार डाला। इनमें से एक स्थानीय पुलिस व शेष सीआरपीएफ के जवान थे। बहुत ही बुरा हुआ। मृतकों के परिवारों में समाचार पहुंचते ही मातम छा गया। महिलाओं व बच्चों की चीखो-पुकार से देखने वालों का भी दिल दहलाने लगा। इन मरने वालों में से एक भी तो किसी नेता, अभिनेता या उद्योगपति का बेटा नहीं था, ना ही किसी अफसरशाह का बेटा था। ये सभी साधारण किसान-मज़दूर परिवारों से थे। साधनविहीनता एवं अन्य किसी विकल्प के अभाव में ये लोग अर्द्धसैन्य बलों में भर्ती होते हैं। इन्हें यदि किसी सरकारी कार्यालय में चपरासी की नौकरी भी मिले तो ये कदापि इन बलों में भर्ती न हों। दूसरी ओर जिन लोगों (नक्सलियों) के शिकार अभियान पर ये लोग निकले

थे, वे इनसे भी अति निम्न एवं गरीब वर्ग से आते हैं। उपलब्ध समाचारों के अनुसार इस घटना से पहले तीन दिनों में सीआरपीएफ की यह टुकड़ी 42 लोगों को इस शिकार अभियान के दौरान मार चुकी थी और लगभग इतने ही लोगों को बंदी बना चुकी थी जिनके साथ भयंकर टार्चर जारी था। जाहिर है, इनके घरों में भी वैसा ही दारुण विलाप हुआ होगा जिसे मीडिया दिखा नहीं सकता था। यह भी तय था कि यदि उन लोगों ने इन 76 लोगों को न मारा होता तो न जाने कितने सैंकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा जाता। कुल मिला कर यह एक खूनी खेल था। दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी जान एवं अस्तित्व बचाने को लड़ रहे थे।

अब प्रश्न पैदा होता है कि जान की बाजी लगा कर लड़ने वाले दोनों पक्षों में कौन सही व कौन गलत है? सरकारी पक्ष को यह प्रश्न अटपटा लग सकता है, क्योंकि उनके लिए यह कोई प्रश्न ही नहीं है। उनके पास संवैधानिक

जिस सरकार व संविधान की दुहाई दी जा रही है, जिसकी रक्षा के लिए यह खूनी जंग थोपी जा रही है, उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? उसका नेतृत्व वे लुटेरे कर रहे हैं जो कल तक कुछ नहीं थे, अनपढ़ व जाहिल होने के बावजूद सत्तारूढ़ हो गये तो करोड़ों-अरबों के हो गये। एक मधु कोड़ा, शिवू सोरेन, लालू प्रसाद, रमण सिंह, शरद पवार या भजनलाल की बात नहीं, यहां तो सारे के सारे एक से बढ़ कर एक हैं।

अधिकार हैं, जिसके द्वारा वे अवज्ञा करने वाले को दंडित कर सकते हैं। और नक्सली लगातार अवज्ञा करते चले आ रहे हैं। वे न सरकार को मानते हैं, न उसके संविधान को। किसी भी देश में

जो दोनों को ही न माने तो उसे देशद्रोही बता कर मार देने का अधिकार सरकार अथवा उसके हथियारबंद दस्तों के पास हुआ करता है। जब अवज्ञा करने वाले कोई इक्का-दुक्का हों तो बात समझ में आती है, लेकिन जिस देश में अवज्ञा करने वालों की संख्या लाखों-करोड़ों में पहुंच जाये और वे भी देश के लगभग एक चौथाई भाग यानी 220 जिलों में हों तो प्रश्न विचारणीय हो जाता है कि आखिर अवज्ञा करने वाले अवज्ञा क्यों कर रहे हैं? वे सरकार तथा उसके संविधान को मानने से इन्कार क्यों कर रहे हैं?

वे कोई अनपढ़, अपराधी या धर्मान्ध लोग तो नहीं हैं। नेतृत्व करने वालों में उच्च एवं अति उच्च शिक्षा प्राप्त वे लोग हैं जो खाते-पीते घरों से सुख और वैभव त्याग कर इस अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हैं।

नेतृत्व प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने न तो किसी पार्टी का टिकट खरीदा और न ही करोड़ों रुपये चुनाव में बहाये।

इन्होंने भूखे, नंगे, लुटे, पिते एवं हर तरह से तिरस्कृत लोगों के बीच अपना जीवन खपा कर नेतृत्व प्राप्त किया है। गरीबों-आदिवासियों के ये नेता न तो इनके बच्चों को नौकरी लगवाने का झांसा देते हैं, न ही किसी के तबादले का वायदा और न ही कोई सड़क पक्की करवाने का आश्वासन। इसके बावजूद भी ये लोग अपने नेताओं के लिए जी-जान से न्योछावर होने को तत्पर रहते हैं।

दूसरी ओर जिस सरकार व संविधान की दुहाई दी जा रही है, जिसकी रक्षा के लिए यह खूनी जंग थोपी जा रही है, उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? उसका नेतृत्व वे लुटेरे कर रहे हैं जो कल तक कुछ नहीं थे, अनपढ़ व जाहिल होने के बावजूद सत्तारूढ़ हो गये तो करोड़ों-अरबों के हो गये। एक मधु कोड़ा, शिवू सोरेन, लालू प्रसाद, रमण सिंह, शरद पवार या भजनलाल की बात नहीं, यहां तो सारे के सारे एक से बढ़ कर एक हैं।

शेष पेज 2 पर